न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–112/2024 (2024/368)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रणछोड़राम पुत्र लादाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाड़ा जिला जोधपुर।		1.बस्तीराम पुत्र लादाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाड़ा जिला जोधपुर। 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **वादी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति।**
2. **प्रतिवादी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा।**

दिनांकः–12.05.2026

–: : निर्णय : :–

वादी द्वारा एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक की सहखातेदारी/सामलाती कृषि भूमि ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 27 रकबा 12.1972 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउड्स विभाजन करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.09.2025 को जारी की गई एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र कमांक/भू.अ./2026/2026 दिनांक 06.04.2026 को पेश किया गया। वादी का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 23.03.2026 से स्पष्ट) है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 06.04.2026 को की गई जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1	बस्तीराम पुत्र लादाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. बोरानाड़ा	27	6.0986	बारानी द्वितीय	13.97
2	रणछोड़राम पुत्र लादाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाअ सा. बोरानाड़ा	27	6.0986	बारानी द्वितीय	13.96

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.03.2026 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 30.03.2026 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकी बमुकदमें दबतदाई

ओर्डर 21 रूल 6,–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

स्व वाद संख्या :–112/2024 (2024/368)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रणछोड़राम पुत्र लादाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाड़ा जिला जोधपुर।		1.बस्तीराम पुत्र लादाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाड़ा जिला जोधपुर। 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.03.2026 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें।

निज.................मुबलिक.................बाबत...................खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह .... फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....................को अदा करे।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12.05.2026 जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्वाई	रूपया	पै.	मुद्वायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबतइजराय हुक्मनामा			बाबतइजराय हुक्मनामा		
मुतफरिंक मीजान			मुतफरिंक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लूणी